



2026:AHC: 55230

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 4981/2026

इरफान

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: सलमान अहमद, साकिब मीज़ान

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. सुश्री अनीता सिंह को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से, विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना मुगलपुरा, जिला मुरादाबाद में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 7 वर्ष 2026, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे गुप्त उद्देश्य के कारण इस वाद में झूठा फँसाया गया है। गैंग-चार्ट में उल्लिखित आपराधिक इतिहास को जमानत आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र में स्पष्ट किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक को गैंग चार्ट में उल्लिखित सभी वादों में पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य या नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) में यथानिर्दिष्ट किसी गिरोह की गतिविधियों में दुष्प्रेरण या सहायता नहीं किया है। पूर्वोक्त वाद को छोड़कर आवेदक का कोई आपराधिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इतिहास नहीं है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। 11.01.2026 से कारागार में है, आवेदक यह वचन देता है कि यदि उसे रिहा किया जाता है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में वादों के भारी लंबन के मद्देनजर, विचारण के जल्द निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, 2020 (11) एससीसी 648** के वाद में पारित एक निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक वादों का लंबित होना अपने आप में जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध नहीं कर सके और आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बनाए गए गैंग-चार्ट में दिखाए गए वाद को छोड़कर आवेदक के खिलाफ किसी अन्य वाद को भी इंगित नहीं कर सके।

तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करने और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को भी ध्यान में रखने पर और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आवेदक, **इरफान** को पूर्वोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन के साक्षीगण पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें न ही डराएगा-धमकाएगा।

(iii) आवेदक (i) वाद शुरू होने, (ii) आरोप विरचित करने और (iii) बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि जब विचारण न्यायालय में साक्षीगण उपस्थित होंगे तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजन तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से वाद के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में अन्वय नहीं किया जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

18 मार्च, 2026

पीकेएस

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)